न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा
2. प्रकरण संख्या : 98 / 2020
3. उनवान : सरकार जरिये राजेन्द्र बूसर, प्रवर्तन अधिकारी

   बनाम

   श्री कमलेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री रेवडमल निवासी डी 59, महेश नगर, पुलिस थाना महेश नगर, जिला जयपुर।
4. निर्णय दिनांक : 24.05.2024
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी, श्री राजेन्द्र बूसर, जिला जयपुर द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 25.02.2018 को पुलिस थाना महेश नगर पंहुचने पर उपनिरीक्षक पुलिस थाना महेश नगर द्वारा तहरीर इस आशय की दी गई कि मुखबीर द्वारा अवैध रिफिलिंग के बारे दी गई सूचना पर महेश नगर थाना मय जाप्ते के प्लाट नं. पी 7, छाया दीप कालोनी, महेश नगर पर पंहुचे। उक्त स्थान पर बने एक कमरे में अप्रार्थी घरेलू गैस सिलेण्डर में से छोटे गैस सिलेण्डर में पीतल की बांसूरी से गैस रिफिलिंग कर रहा था। मौके पर तलाशी के दौरान एक पाईप, तीन रेग्यूलेटर, एक टीनुमा वाल्व, 3 छोटी व 1 बडी बासुरी, 2 पाने, एक प्लास, एक पेचकस, एक सन्डासी, एक गैस वाल्व खोलने का पाना, एक हरे रंग का पाईप, 3 वाल्व, 2 बडे सिलेण्डर के कप, एक कांटा, 10 किलो का एक बांट, 5 किलो का एक बांट, 2 किलो के 2 बांट, एक किलो का एक बांट व 500 ग्राम का एक बांट मिले, एक घरेलू गैस सिलेण्डर, तीन छोटे गैस सिलेण्डर तथा रिफलिंग करते हुए पकडे गए 1 छोटा व 1 घरेलू गैस सिलेण्डर (कुल 2 घरेलू व 4 छोटे सिलेण्डर मय 12.100 किग्रा एलपीजी) जो कि कोई वैध दस्तावेज व संतोषजनक जवाब अप्रार्थी द्वारा नहीं दिये जाने पर जब्त किये गये। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र, फर्द मौका, फर्द जब्ती की प्रति पेश कर निवेदन किया है कि जब्त वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) के तहत राजसात करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी सांख्या को नोटिस सम्यक रुप से तामील है। अप्रार्थी ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसमें अंकित किया है कि उक्त प्रकरण जब्त सामान में उसका एक घरेलू सिलेण्डर भी जब्त कर लिया गया है। अप्रार्थी आटा चक्की का काम करता है और स्वयं के घरेलू सिलेण्डर के अलावा जब्त सामान गांव से कबाडी को बेचने के लिए रखा था। उक्त सिलेण्डर गृहकार्य में काम आता है और उसका परिवार उसी पर निर्भर है जिसकी डायरी की प्रति भी पेश की है। अतः एक घरेलू सिलेण्डर को रिलीज करने का निवेदन किया है। प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र की ही बहस मानने का निवेदन किया है। प्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए जब्त वस्तुओं को राजसात करने का निवेदन किया। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 24.05.2024 को आदेश हेतु रखी गई।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, अप्रार्थी के जवाब प्रार्थना पत्र, पत्रावली का अवलोकन व मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दिनांक 25.02.2018 को अवैध रिफिलिंग करते हुए घरेलू सिलेण्डर, छोटे सिलेण्डर व अन्य सामान जब्त किया गया। अप्रार्थी द्वारा मौके से जब्त स्वयं के घरेलू सिलेण्डर की डायरी पेश कर उसे रिलीज करने का निवेदन किया है। अप्रार्थी द्वारा एक घरेलू सिलेण्डर के अलावा किसी अन्य सामान के बारे कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नही किये ना ही कोई सन्तोषप्रद जवाब दिया गया। किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी जब्त सामग्री के संबध में कोई क्लेम आज तक पेश

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

नहीं किया गया है। मौके पर अप्रार्थी को अवैध रुप से घरेलू सिलेण्डर से छोटे सिलेण्डर में गैस रिफिलिंग करते हुए पाया गया जिससे अप्रार्थी द्वारा अवैध रुप से गैस रिफलिंग करने की पुष्टि होती है। अप्रार्थी ने राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण व विनियमन) आदेश 1976 एवं केरोसीन उपयोग दवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। अप्रार्थी द्वारा मात्र डायरी की फोटो प्रति पेश करने से उक्त गैस सिलेण्डर अप्रार्थी का साबित नही होता है। उक्त डायरी का मात्र प्रथम पृष्ठ प्रस्तुत किया है। डायरी के उक्त पृष्ठ जिन पर उक्त नम्बरों के गैस सिलेण्डर की प्राप्ति अप्रार्थी द्वारा उस डायरी के मार्फत की गई थी पेश नही किए गए, इसलिए यह साबित नहीं है कि उक्त सिलेण्डर अप्रार्थी का घरेलू सिलेण्डर था। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा जब्त एक पाईप, तीन रेग्यूलेटर, एक टीनुमा वाल्व, 3 छोटी व 1 बडी बांसुरी, 2 पाने, एक प्लास, एक पेचकस, एक सन्डासी, एक गैस वाल्व खोलने का पाना, एक हरे रंग का पाईप, 3 वाल्व, 2 बडे सिलेण्डर के कप, एक कांटा, 10 किलो का एक बांट, 5 किलो का एक बांट, 2 किला के 2 बांट, एक किलो का एक बांट व 500 ग्राम का एक बांट मिले, 2 घरेलू व 4 छोटे सिलेण्डर मय 12.100 किग्रा एलपीजी को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी, जयपुर प्रथम को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त सामग्री को नियमानुसार अन्तिम निस्तारण किया जाकर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।